In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 980 / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 980/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 514/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

(i) in S.No. 29, for the entry in column (2), the entry, "0802, 0813", shall be substituted;

(ii) after S.No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"30A	0804	Mangoes sliced, dried" ;

(iii) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"99A	1905 or 2106	Khakhra, plain chapatti or roti" ;

(iv) after S.No. 101 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"101A	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in

		respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

(v) in S.No. 164, for the entry in column (3), the entry,

"(a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

i. IFO 180 CST

ii. IFO 380 CST"; shall be substituted;

(vi) after S.No. 181 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia";

(vii) after S.No. 187 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"187A	3915	Waste, parings or scrap, of plastics";

(viii) after S.No. 188 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"188A	40040000	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)";

(ix) after S.No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"191A	4017	Waste or scrap of hard rubber";

(x) after S.No. 198A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"198 B	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard";

(xi) S.No. 201A and entries relating thereto shall be omitted;

(xii) after S.No. 218 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"218A	5605	Real zari thread (gold) and silver thread, combined with

	0010	textile thread";

(xiii) in S.No. 219, in column (2), for the figure, "5705", the figures "5702,5703, 5705", shall be substituted;

(xiv) after S.No. 228 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"228A	7001	Cullet or other waste or scrap of glass";

(xv) after S.No. 234 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"234A	84or 85	E-waste *Explanation:* For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule Iof the E-Waste(Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational";

(xvi) after S.No. 263 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"264	Any chapter	Biomass briquettes" ;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) **in S.No. 16, in column (3), for the words and brackets "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried", the words and brackets, "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried", shall be substituted;**

(ii) in S.No. 17, in column (3), for the words figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]", the words, figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]", shall be substituted;

(iii) in S.No. 46, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable

right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

(iv) S.No. 111 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) after S.No. 132 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"132A	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
132B	5402, 5403, 5404,5405,5406	Synthetic or artificial filament yarns
132C	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
132D	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres";

(vi) in S.No. 137, in the entry in column (3), the words and figures "such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread)," shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S.No. 16, in column (3), for the words "other than pizza bread", the words, "other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti", shall be substituted;

(ii) in S.No. 23, in column (3), for the words "preparations in ready for consumption form", the words, "preparations in ready for consumption form, khakhra", shall be substituted;

(iii) after S.No. 54 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"54A	3213	Poster colour" ;

(iv) in S.No. 63, for the entry in column (3), the entry, "Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)", shall be substituted;

(v) S.No. 102 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S.No. 114, in column (3), for the words and brackets "Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom", the words and brackets "powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)" shall be substituted;

(vii) S.No. 158 and entries related thereto shall be omitted;

(viii) in S.No. 159,for the entry in column (3), the entry "All goods other than synthetic filament yarns", shall be substituted;

(ix) in S.No. 160, for the entry in column (3), the entry "All goods other than artificial filament yarns", shall be substituted;

(x) S.No. 164 and entries related thereto shall be omitted;

(xi) S. No. 165 and entries related thereto shall be omitted;

(xii) after S.No. 177 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"177A	6802	All goods other than:- (i) all goods of marble and granite; (ii) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone" ;

(xiii) in S.No. 188, and entries relating thereto, shall be omitted;

(xiv) after S.No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"303A	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal" ;

(xv) after S.No. 308 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"308A	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
308B	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps(horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps";

(xvi) after S.No. 369 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"369A	8483	Plain shaft bearings" ;

(D) in Schedule-IV-14%, -

(i) in S.No. 23, in column (3), for the words, "pans or in similar forms or packings", the words and brackets, "pans or in similar forms or packings [other than poster colour]", shall be substituted;

(ii) S.No. 34 and entries related thereto shall be omitted;

(iii) in S.No. 50, in column (3), for the words "including waste and scrap", the words, "other than waste and scrap", shall be substituted;

(iv) in S.No. 70, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]";

(v) S.No. 112 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S.No. 135, in column (3), the words, "and plain shaft bearings", shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional Commissioner of State tax** of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 980/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादून:: दिनांक: 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 514/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,-

(i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0802, 0813", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

"30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए";

(iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्–

"99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी ";

(iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

"101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 164 के कॉलम (3) में प्रविष्टि "' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(क) कैरोसिन ऑइल, पीडीएस, बंकर फ्यूल

(ख) जहाज अथवा जलयान में प्रयोग हेतु निम्नलिखित बंकर फ्यूल, अर्थात्–

(i) IFO 180 CST
(ii) IFO 380 CST

(vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"181 (क)	30	औषधि द्रव्य)जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइडेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।";

(vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पैयरिंग्स एंड स्क्रैप्स";

(viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"188(क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न)";

(ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"191 क	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रैप"

(x) क्रम संख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"198 क	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रैप"

(xi) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"218क	5605 0010	रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड, जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो "

(xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्‌—

"228क	7001	ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप" ;

(xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:-

"234क	84 या 85	ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि ई-वेस्ट (मैनेजमेन्ट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0 338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पयेर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं ";

(xvi) क्रम संख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:-

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस ब्रिक्वेट्स"

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के शुष्कित फल", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाडा) चाहे ये छिलका युक्त हों या नहीं, से भिन्न]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा :-

नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132 ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सैंथैटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामेंट यार्न
132ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(vi) क्रम संख्या 137 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों "जैसे टैक्सटाइल धागा का सम्मिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा," को निरसित किया जायेगा ।

(vi) अनुसूची III में – 9%

(i) क्रम संख्या 16 में कॉलम (3) में "पिज्जा ब्रेड" शब्दों के स्थान पर "पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कालम (3) में "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों" शब्दों के स्थान पर "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"54क	3213	पोस्टर कलर" ;

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक, "माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; दन्त चिकित्सा में प्रयोग होने वाले उत्पाद, जो बेसिस प्लास्टर (कैलसाइंड जिप्सम या कैल्सियम सल्फेट के) आधारित हों" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "दन्त चिकित्सा में प्रयोग होने वाले अन्य उत्पाद, जो प्लास्टर (कैलसाइंड जिप्सम या कैल्सियम सल्फेट के) आधारित हों;" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों" रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" के स्थान पर शब्दों" रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों "कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात–

"177क	6802	निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :- i. मार्बल और ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं ii. मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, पैडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैश्यूँ बक्से, लेखन सैट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: –

"303क	8305	लूज लीफ बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स , पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के";

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से जल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पम्प (हॉरिजेंटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प्स, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स";

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"369क	8483	प्लेन शाफ्ट बियरिंग" ;

(घ) अनुसूची IV – 14%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्द "वेस्ट एंड स्क्रैप समेत" के स्थान पर "वेस्ट एंड स्क्रैप को छोड़कर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कालम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मार्बल या ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं[मूर्तियां, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान" के अलावा]";

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, "और प्लेन साफ्ट बियरिंग" शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ड.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

" बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0780/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन0आई0सी0

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव